FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम

तहसीलदार बेगूं बनाम आम

करम मुकदमा नं. 101/19 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27/8/19	तहसीलदार बेगूं द्वारा DILRMP के तहत तरमीम करने के लिए स्थानीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। जिसको दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम रायता पटवार हलका रायता मे आराजी संख्या 1107/347 की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नक्शे में दर्ज नंबर है प्रार्थी ने बताया कि मौजा रायता पटवार हलका रायता खतौनी संख्या 104 में अन्य आराजीयात के साथ अंकित आराजी संख्या 1107/344 जो वक्त सेटलमेंट दर्ज हुआ है जबकि नक्शे मे आराजी संख्या 344 जो वक्त सेटलमेंट दर्ज हुआ जबकि नक्शे मे आराजी संख्या 344 दर्ज जमाबंदी में भी बिलानाम आराजी संख्या 344 दर्ज है जिसका रकबा 0.0240 है, जो नक्शे के अनुसार सही है रिकार्ड की जॉच करने पर पाया कि सेटलमेंट के वक्त आराजी संख्या 1107/347 सही है, जबकि सेवन मे जमाबंदी लिखते समय आराजी संख्या 1107/347 ~~सही~~ सही किया जाना उचित होने से सही किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार बेगूं द्वारा की गई।	

Scanned by CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुक्म ... में जारी हु...
	तहसीलदार बेगूं व भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार, काश्तकारों की सहमति के आधार पर व साथ ही रिकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर यह उचित प्रतीत होता है कि मौजा रायता, पटवार हल्का रायता में खाता संख्या 104 खातेदारान की भूमि आराजी संख्या 1107/344 के स्थान पर 1107/347 अंकन होना चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान ~~काश्त~~ भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 29/8/19 सहायक कलेक्टर (...) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

अज अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रा0पत्र संख्या :: 101 / 2019

तहसीलदार, बेगूँ (भूमिधारी) तहसील कार्यालय, बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

श्रीमति झूमा बेवा हरलाल व अन्य निवासी बरडावदा
तह0 सिंगोली (म0प्र0) विपक्षीगण

उपस्थित : तहसीलदार,बेगूँ
प्रार्थी

आदेश दिनांक : 27.08.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू– राजस्व अधि0

प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार, बेगूँ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि विपक्षीगण खातेदार ने मौजा रायता प0ह0 रायता की आराजी संख्या 1107 / 344 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होने एवं नक्शे में आराजी संख्या 1107 / 347 होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने निवेदन इस प्रकार से किया कि नक्शे में दर्ज नम्बर है सही होने से एवं प्रार्थीगण कब्जे में भूमि आराजी संख्या 1107 / 347 ही होने रेकार्ड में आराजी संख्या 1107 / 344 अंकित होने के कारण इस कार्यालय द्वारा भू.अ.नि. ठुकराई को मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रार्थी तहसीलदार द्वारा दिये जाकर प्रकरण में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने का आदेश किया गया।

मामले में मौजा रायता पटवार हल्का रायता एवं भू.अ.नि. ठुकराई की रिपोर्ट के अनुसार मौजा रायता प0ह0 रायता की खतौनी संख्या 104 में अन्य आराजीयात के साथ अंकित आराजी संख्या 1107 / 344 जो वक्त सेटलमेन्ट में दर्ज हुआ है जबकि नक्शे में आराजी संख्या 344 जो वक्त सेटलमेन्ट में दर्ज हुआ है जबकि नक्शे में आराजी संख्या 344 ही दर्ज है एवं जमाबंदी में भी बिलानाम आराजी संख्या 344 दर्ज है जिसका रकबा 0.0240 है जो नक्शे अनुसार सही है। नक्शे से मिलान करने पर नक्शे में आराजी संख्या 1107 / 344 दर्ज नहीं होना पाया गया एवं उसके स्थान पर नक्शे में आराजी संख्या 1107 / 347 दर्ज है। रिकार्ड की जॉच करने पर पाया कि सेटलमेन्ट के वक्त आराजी संख्या 1107 / 347 सही है लेकिन सेवन से जमाबंदी लिखते समय आराजी संख्या 1107 / 347 अंकन हुआ है जो जमाबन्दी रेकार्ड के अनुसार आराजी संख्या 1107 / 347 सही किया जाना उचित होने से सही किये जाने की अनुशंषा प्रार्थी तहसीलदार, बेगूँ द्वारा प्रकरण में की गई।

अतः भू.अ.नि. ठुकराई एवं पटवारी हल्का रायता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार एवं नक्शे मेंदर्ज नम्बर के अनुसार रेकार्ड जमाबंदी में आराजी संख्या 1107 / 344 के स्थान आराजी संख्या 1107 / 347 दर्ज किये जाने हेतु आदेशित करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रार्थी तहसीलदार, बेगूँ को सुना गया, जिन्होने मौजा रायता प.ह. रायता की खतौनी 104 में अंकित आराजी संख्या 1107 / 344 के स्थान पर आराजी संख्या 1107 / 347 दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज मौजा रायता की भू–प्रवन्ध विभाग की खतौनी जमाबंदी सं. 2028 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जिसमें आराजी संख्या 344 रकबा 03 बिस्वा भूमि बिलानाम ना काबिल काश्त मजकूर रोडी की भूमि के रूप उक्त भूमि दर्ज है। साथ ही सेटलमेन्ट के पश्चात की नकल जमाबंदी मौजा रायता की सं. 2068 की जमाबंदी का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया जिसमें भी उक्त आराजी संख्या 344 की भूमि गै.मु. स्थान रोडी के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नक्शाट्रेस का अवलोकन किया जाने पर पाया कि मौजा रायता की आराजी संख्या 347 की लगती हुई उक्त बिलानाम भूमि आराजी संख्या 344 दर्ज है, तथा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड) बेगूँ (चित्तौडगढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 347 एवं 1107/347 नक्शे में दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं. 2072 का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि खातेदार श्री झूमा बेवा हरलाल, नंदलाल सीता विमला पिता हरलाल 2/9, रूपलाल मोहनलाल पिता चुन्नीलाल 4/9, सुगनलाल शान्तिलाल पिता रामलाल 1/8धाकड सा.देह संजयकुमार पिता सागमल 1/8 जैन सा. बेगूँ खातेदार के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 354, 441, 844, 846 व 1107/344 किता-6 कुल रकबा 0.9870 हैक्टर भूमि खातेदारान के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है उक्त दर्ज भूमियों में से आराजी संख्या 1107/344 की भूमि मूल आराजी नम्बर 344 का ही बटानम्बर 1107/344 है जबकि मूल आराजी संख्या 344 बिलानाम भूमि है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रिपोर्ट भू.अ.नि. ढुकराई द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि उक्त खातेदारान की भूमि का अंकन 1107/347 के बजाय सहवन से 1107/344 किया गया है जो कि सद्भावी भूल है, जो सेटलेन्ट से ही चली आ रही है जिसे दुरस्तकिया जाना है। प्रार्थी भूमिधारी द्वारा भी यह निवेदन अपनी बहस में हमारे समक्ष किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत रिकोर्ड नकल जमाबंदी एवं रिपोर्ट भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार मौजा रायता की आराजी संख्या 1107/344 के स्थान पर आराजी संख्या 1107/347 का अंकन किया जाने एवं नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 347 एवं 1107/347 के दर्ज होने पर उक्त शुद्धि को जमाबंदी में किया जाना हम न्याय संगत मानते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा रायता के खाता संख्या 104 में शुद्धि करते हुए दर्ज खातेदारान की भूमि आराजी संख्या 1107/344 के स्थान पर आराजी संख्या 1107/347 का अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27/8/19 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/8/19

(रमेश सीरवी पन्नाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रतिलिपि आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार भूमिधारी तहसील, बेगूँ को दी जाती है।

Scanned by CamScanner